

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा०(।।।) ब<sup>3</sup>-08/2013/

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,  
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेकनिक,  
मुंगेर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष- 104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0102-पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" विपत्र कोड 43-4202021040102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 1762 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर के परिसर में डिपोजिट वर्क अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 11 KVA HTS-1 लाईन पहुँचाने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टैक्स सहित कुल रू० 1,00,000=00 (एक लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 5301 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रू० 1,00,000=00 (एक लाख रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि०(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतः उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि०(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी०भी० नं० एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अतुल सिन्हा)  
निदेशक

ज्ञापांक- वि० प्रा०(।।।) ब<sup>3</sup>-08/2013/

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक— वि० प्रा०(111) ब<sup>3</sup>-08/2013/

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक— वि० प्रा०(111) ब<sup>3</sup>-08/2013/

37/2017/पटना, दिनांक— 27/01/2017

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो.) / योजना सहायक / आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.05.17

निदेशक

6-19